



फाइल नम्बर: 9-HRB180/2021-CHA

दिनांक: January, 2023

सेवा में,

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला, हरियाणा |

विषय: Diversion of 0.4760 ha (instead of 0.8066 Ha) forest land for laying of 250mm/150mm/100mm DI pipe line for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewla, Khandewla to Jatola, Fazilpur Badli Taznagar, faridpur to Dhani AHIRAN via karola, Gugana to shekhpur Majri & farukh Nagar road to garhi Nathe khan in District- Gurugram.(online proposal no. FP/HR/WATER/144418/2021)

सन्दर्भ: i). अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के ई-मेल(cffcpanchkula@gmail.com) दिनांक 05.01.2023.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए **0.4760** हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.08.2022 के बिंदु संख्या (ii) का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः प्रस्ताव से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:-

i) डीएसएस की जाँच रिपोर्ट के अनुसार सीए साइट 'bandhwari Sec 4&5' की केएमएल का कुल एरिया 2.37 हेक्टेयर एरिया पाया गया है, जिसमें से कुल 1.87 हेक्टेयर वन भूमि पौधरोपण हेतु उपलब्ध है, जो कि कुल 2230 पौधे लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि लक्ष्य पौधारोपण (2230 पौधे) के लिए लगभग 0.36 हेक्टेयर अतिरिक्त सीए/ए.सीए साइट प्रदान की जाए।

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

Signed by Raja Ram Singh

Date: 17-01-2023 12:42:21

भवदीय

-sd-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Gurugram, Haryana (dfo.ggn-hry@nic.in, dfo.gurgaon@yahoo.in).
2. Sudhir Ransiwal, Executive Engineer, PHED GURUGRAM. (phedgurgaon@gmail.com)